

569

बि. नं. 650000/1. लतेहार

565

26405/-



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 0275801e9782f8bc7994

Receipt Date : 22-Feb-2021 10:42:13 am

Receipt Amount : 26405/-

Amount In Words : Twenty Six Thousands Four Hundred And Five Rupees Only

Token Number : 20210000023880

Office Name : SRO - Latehar

Document Type : Sale Deed

Payee Name : Soni Devi (Vendee)

GRN Number : 2104554352



For Office Use :-

रजिस्ट्रार कार्यालय 21

हीटानागपुर नासबजारो बधिक

अ/18 के द्वारा 46

वधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

अनुसूचि 1

1 रु सं.

वधीन यथावत स्टाम्प अधिनियम



सोनी देवी

सोनी देवी

22/21

रीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट या फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Photograph of
Mina Devi is
being attested



मीना देवी मो०, 660000/- इ.ला.सा.हा. ए.आर.
रूपमें कर्मचारी के रूप में रकबा पत्र ही 00 अर्जीन का केबाल।
जिसे सिखा जो पदवाकर सुन-समक्ष लिमा
बा० राजू भाइव 22.02.2021
बा० राजू भाइव मेरे सामने निवेदन न अपनी कारोबार
मेरे सामने का निवेदन कनामा

मीना देवी

ए (1) शुल्क..... 12800/-
ई शुल्क.....
सलामी शुल्क..... 3-00
तलवाना शुल्क..... 1-00
19804 = 221212

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता

श्रीमती मीना देवी, उम्र- 53 वर्ष, पति- स्व० केदार प्रसाद गुप्ता, पिता- स्व० महेन्द्र साव, जाति- रौनियार, जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम कि धारा 46 (बी) के सूची से बाहर है शपथ पत्र संख्या 36...U.O... दिनांक 22/2/2021 है। निवासी ग्राम- लातेहार (स्टेशन रोड), पत्रालय, थाना एवं जिला- लातेहार, राष्ट्रीयता- भारतीय, पेशा- गृहिणी, शपथ पत्र संख्या 36...U.O... दिनांक 22/2/2021 समक्ष लेख्य प्रमाणक, लातेहार। आधार नंबर- 5032 3325 9246

पहचान राजू भाइव
पिता- स्व० केदार प्रसाद गुप्ता
ग्राम- थाना + मिला- लातेहार
जाति- रौनियार पेशा- गृहिणी

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता

श्रीमती सोनी देवी, उम्र- 30 वर्ष, पति- अरुण कुमार, पिता- गंगा साव,
दादा- स्व० मधु साव, जाति- रौनियार, निवासी ग्राम- लातेहार (स्टेशन
रोड), पत्रालय, थाना एवं जिला- लातेहार, राष्ट्रीयता- भारतीय, पेशा-
गृहिणी, शपथ पत्र संख्या- 36...55..... दिनांक-
27/01/2021..... समक्ष लेख्य प्रमाणक लातेहार, आधार नं०-
3965 8744 2740, पैन नं०- CSDPD4040A

3. लेख्य प्रकार

विक्रय पत्र | (DEED OF SALE)

4. कीमत जायदाद

मो० 6,60,000/- (छः लाख साठ हजार रुपये) मात्र ।

5. जमीन का विवरण

रकबा- 4½ डी० (चार पूर्णांक एक बड़ा दो डीसमील), जमीन
आवासीय, हकियत- रैयती, अन्दर मौज़ा- लातेहार, जो अन्य सड़क में
स्थित है, थाना, जिला एवं निबंधन कार्यालय- लातेहार, पार्ट होल्डींग
निजी हिस्सा बिक्री करते हैं जो बासगीत पर्चा, भूदान-यज्ञ कमिटी या
बंदोबस्ती से प्राप्त नहीं है तथा वन सीमा से बाहर है एवं टाउनलीज
एरिया, सीलिंग एरिया से बाहर है तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति लातेहार
के अंतर्गत है । उसके अन्दर मकान नहीं है एवं आदिवासी खाता की
सम्पत्ति नहीं है, नवशा संलग्न है एवं ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

सोनिया देवी

मौज़ा	थाना व थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हो नं०	वार्ड नं०	अंचल
लातेहार	लातेहार 250	51	1	46/3	07	लातेहार

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकबा	चौहदी
15 पंद्रह	747 सात सौ शैतालिश	4½ डी० चार पूर्णांक एक बड़ा दो डीसमील	30- प्लॉट नं०- 747 40- प्लॉट नं०- 745 पू०- हाल क्रेता संगीता कुमारी 50- प्लॉट नं०- 745
01	01	4½ डी० (चार पूर्णांक एक बड़ा दो डीसमील)	


सोनिया देवी

साताना मालगुजारी:-

मो 50 पैसे आलवे शेष।

नाम मालिक:- डारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय, लातेहार।

विदित हो कि प्रस्तुत लेख्य के कण्डिका पांचवा में वर्णित सम्पति लेख्यकारी कि पैतृक खेती सम्पति है जो लेख्यकारी के असुर रामजतन साह के नाम कि खरीदगी सम्पति है, जो राजस्व अभिलेख के खाता संख्या- 15 में पूर्व बिक्रेता के पूर्वज के नाम से दर्ज है। वर्तमान समय में संबन्धित ग्राम के मांग पंजी- II के मौलुम संख्या- 03, पेज संख्या- 46 में लेख्यकारी के असुर रामजतन साह के नाम से डिमाण्ड चल रहा है। कण्डिका पांचवा में वर्णित सम्पति लेख्यकारी के पति के हिस्से की सम्पति है जो लेख्यकारी के पति को आपसी पारिवारिक बटवारा से प्राप्त है जिसपर वर्तमान में लेख्यकारी का शांतिपूर्ण कब्जा-दखल चला आ रहा है। वंशावली निम्न प्रकार है :-



वर्तमान समय में लेख्यकारी को अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपये की आवश्यकता हो गयी है। जिसकी व्यवस्था का कोई अन्य श्रोत नहीं है इसलिए कण्डिका पांचवा में वर्णित सम्पति को बिक्री करना अनिवार्य हो गया है। लेख्यकारी द्वारा कण्डिका पांचवा में वर्णित सम्पति को बिक्री करने की घोषणा सुन-जान कर, लेख्यधारी ने कण्डिका पांचवा में वर्णित सम्पति को खरीदने के मास्ते लेख्यकारी से संपर्क किया।

लेख्यधारी कण्डिका पांचवा कि सम्पति को वर्तमान स्थानीय मूल्य से खरीदने को तैयार हुए इसलिए लेख्यकारी अपनी इच्छा से अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कण्डिका पांचवा की सम्पति को मो 6,60,000/- (छः लाख साठ हजार रुपये) कीमत में लेख्यधारी के साथ बिक्री किया वो केवाला विक्रय पत्र लेख्यधारी के नाम लिखा, वो आज तारीख से कण्डिका पांचवा की सम्पति पर से अपना वो दाबी को समाप्त किया वो उस पर लेख्यधारी का कब्जा दखल पर उसका जायज मालिक लेख्यधारी को घोषित किया।

मीना देवी


अर्जुन प्रसाद गुप्ता ज कि रो आगा
ग्राम खाना जिना लखिछाल पंचम

अब चाहिए की लेख्यधारी कंडिका पांचवा की सम्पति पर दखलकार होकर उसमे अपने इच्छानुसार निर्माण कार्य करें एवं मकान बनाकर परिवार के साथ निवास करें तथा अपनी ढर प्रकार की सुख-सुविधा की समुचित व्यवस्था करें।

यह भी चाहिए की लेख्यधारी कंडिका पांचवा की सम्पति की दायित्व खारिज करवा लें और अपने नाम से अलग डिमाण्ड खोलवाकर सालिना मालगुजारी झारखण्ड सरकार को अंचल कार्यालय, लातेहार के माध्यम से चुकता करके रसीद प्राप्त किया करें इसमें लेख्यकारी या इनके उत्तराधिकारी को वर्तमान एवं भविष्य मे किसी प्रकार की कोई आपति नहीं है और न भविष्य मे होगा।

कंडिका पांचवा की सम्पति ढर तरह से पाक एवं साफ है उस पर किसी तरह का देना पावना किसी अन्य का नहीं है तथा सरकारी-गैरसरकारी वितीय संस्थान का कोई ऋण भार नहीं है और ढर प्रकार से विवाद रहित है इसलिए लेख्यकारी अपनी राजी खुशी से अपना हानी वो लाभ, वर्तमान एवं भविष्य को पूरी तरह समझकर अपने मन वो आत्मा की स्वच्छता से निष्ठापूर्वक प्रस्तुत लेख्य के कंडिका पांचवा में वर्णित सम्पति को मो० 6,60,000/- (छः लाख साठ हजार रूपये) कीमत में लेख्यधारी के साथ बिक्री किया, वो केवाला विक्रय पत्र लेख्यधारी के नाम लिख दिया कि सबूत रहे एवं समय पर कम आवे। केवाला विक्रय पत्र कि मूल प्रति लेख्यधारी के हाथ जाना कुल कीमत वसूली एवं लेन-देन का सच्चा सबूत वो प्रमाण समझा जायेगा।

लातेहार, दिनांक... 22 फरवरी 2021 ई०।



कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

श्रीनी देवी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है एवं बाएँ हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातीब- बिबि क बिहार हाकु क कनीक नवीक लप्रेहार- मजमून दस्तावेज दोनों पक्षों को पढ़कर सुना दिया, बोले ठीक है।

दिनांक... 22 2/2021

श्रीनी देवी

graph of Devi is affected